केन्द्रीय विद्यालय संगठन/ KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
(Min. of Education, Govt. of India)
18-संस्थागत क्षेत्र / 18-Institutional Area
शहीदजीत सिंह मार्ग / ShaheedJeet Singh Marg
नई दिल्ली– 110016 / New Delhi – 110016
Tel: 26858570, Fax No. 011-26514179
www.kvsangathan.nic.in
E-mail ID- dcsportscellkvshq@gmail.com

पत्रांक सं. 110355/01/2023-24/KVS (HQ)/Sports/67th SGFI /2601-2603 दिनांक-14/12/2023

अति–आवश्यक

उपायुक्त,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
समस्त संभाग

ई-मेल केवल

विषय:- केविस राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण शिविर एवं SGFI द्वारा आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स (National School Games) प्रतियोगिता के संबंध में–

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयांतर्गत अवगत हो कि SGFI द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिताओं (National school Games) एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिताओं में केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रतिभागिता से पूर्व चयनित राष्ट्रीय टीमों के लिए विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों (National Coaching Camp) का आयोजन किया जाता है, इन प्रशिक्षण शिविरों के लिए केविस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के दौरान चयनित खिलाड़ियों (KVS मापदण्ड के अनुसार) को ही राष्ट्रीय शालेय खेल प्रतियोगिताओं (National school Games) में प्रतिभागिता का अवसर प्राप्त होता है।

अतः उपरोक्त प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में KVS दलों / खिलाड़ियों की सुलभ एवं सफल प्रतिभागिता हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है ;-

1. KVS राष्ट्रीय दल के चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में उपस्थिति अनिवार्य है।
2. केविसं टीम के चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर से छूट देने के मामले में कोई आवेदन / निवेदन मुख्यालय द्वारा स्वीकार्य (विशेष परिस्थितियों को छोडकर) नहीं किया जायेगा।
3. राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु प्रशिक्षक/प्रबन्धक/अनुरक्षक के रूप में केविसं(मुख्यालय) अथवा संभाग द्वारा प्रतिनियुक्त शिक्षकों / शिक्षिकाओं को उक्त प्रतिनियुक्ति कार्य से छूट देने के मामले उपायुक्त संबन्धित संभाग अपने स्तर से ही उक्त प्रतिस्थापन करेंगे।
4. राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर हेतु प्रशिक्षक / प्रबन्धक / अनुरक्षक के रूप में केविसं(मुख्यालय) द्वारा प्रतिनियुक्त शिक्षकों / शिक्षिकाओं को उक्त प्रतिनियुक्ति कार्य से छूट देने के मामले में आवेदन मुख्यालय द्वारा स्वीकार्य नही (विशेष परिस्थितियों को छोडकर) किए जायेंगें।

यह पत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

मनोज कुमार पाण्डेय
14.12.2023

(मनोज कुमार पाण्डेय)
सहायक आयुक्त (खेलकूद)

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु॰), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. निजी सहायक, संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु॰), नई दिल्ली को सूचनार्थ।